राजस्व वाद संख्याः—38 / 2024
संदीप बनाम सुनीता वगै0
निर्णय दिनांकः— 08.07.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 38 / 2024

संदीप कुमार, पुत्र स्व० श्री सुरेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी झोझुकलां, तहसील दादरी, जिला भिवानी—हरि०

—वादी

बनाम

01. सुनिता, पुत्री स्व० श्री गुलाब, पत्नि कमल, जाति जाट, हाल निवासी नीमड़ तहसील बाढडा, जिला भिवानी—हरि०.
02. लक्ष्मी, पुत्री स्व० श्री गुलाब, जाति जाट, हाल निवासी नीमड़ तहसील बाढड़ा, जिला भिवानी—हरि०.
03. अजय, पुत्र श्री मीरसिंह, जालि जाट, हाल निवासी देवरोड़, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू—राज०
04. विजय, पुत्र श्री मीरसिंह, जाति जाट, हाल निवासी देवरोड़, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू—राज०
05. नीलम, पुत्री श्री मीरसिंह, जाति जाट, हाल निवासी देवरोड़, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू—राज०
06. आनन्द, दत्तक पुत्र श्री उम्मेद सिंह, जाति जाट, निवासी झोझुकला, तहसील दादरी, जिला भिवानी, हरि०
07. सुखवीर, पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी झोझुकला, तहसील दादरी, जिला भिवानी, हरि०
08. शर्मिला, पुत्री श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी झोझुकला, तहसील दादरी, जिला भिवानी, हरि०
09. ज्योति, पुत्री श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी झोझुकला, तहसील दादरी, जिला भिवानी, हरि०
10. प्रवीण कुमारी, पुत्री श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी झोझुकंला, तहसील दादरी, जिला भिवानी,
11. राजवन्ती, पत्नि श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी झोझुकला, तहसील दादरी, जिला भिवानी,
12. जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू राज०
13. राजस्थान सरकार, जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू—राज०

— प्रतिवादीगण

उपस्थितः— वादीगण अधिवक्ता

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ निवेदन किया कि मौजा ग्राम वाके पिलोद, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू—राज०, की सरहद में कृषि भूमि हाल खसरा नं. 687 / 157 रकबा 0.0527 है०, खसरा नं. 688 / 158 रकबा 4.3373 है०, कुल किता 2. कुल रकबा 4.39 है0, अवस्थित है, जिसे वाद—पत्र में आगे विवादित अराजियात कहा गया है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 11 संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं वास्ते मुलाहिजा हाल मिसल हैकियत, जमाबन्दी सम्वत् 2064 लगायत 2067, नामान्तकरण संख्या 650, नामान्तकरण संख्या 609, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077, रजि. वसीयतनामा दिनांक 12—09—2000, लिखावट बशक्ल वसीयत दिनांक 21—12—2000, लफ दावा है।

यह कि वाद के निर्धारण के लिए सजरे की आवश्यकता होती है जिस बाबत वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 11 का सजरा वाद पत्र में धारा संख्या 02 में वर्णित है।

यह कि सजरा से यह साफ रौशन होता है कि वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 11 का कॉमन पूर्वज स्व० श्री टेकचन्द था उक्त स्व० श्री टेकचन्द के तीन पुत्र सन्तान स्व० श्री गुलाब सिंह, स्व० श्री

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

उम्मेद, स्व० श्री श्योनारायण, पैदा हुये, प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 उक्त स्व० श्री ओमप्रकाश के विधिक वारिस है तथा प्रतिवादी नं. 6 आनन्द कुमार स्व० श्री गुलाब सिंह का जायन्दा पुत्र है जो कि अपने चाचा स्व० श्री उम्मेद के गोद चला गया तथा नामान्तकरण संख्या 409 गौजा पिलोद के दर्ज व स्वीकृत होने पर उक्त स्व० श्री उम्मेद के हिस्सा 1/3 का खातेदार दर्ज भू–अभिलेख हुआ जो कि विवादित नहीं है, तथा प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 उक्त स्व० भतेरी पुत्री स्व० श्री गुलाब सिंह के विधिक वारिस है, प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 उक्त स्व० श्री गुलाब सिंह की पुत्रीया है। खातेदार कमशः नामे मनभरी पत्नि स्व० श्री गुलाब सिंह, सुरेन्द्र पुत्र स्व० श्री गुलाबसिंह, व भतेरी पुत्री स्व० श्री गुलाबसिंह फौत हो चुके है। उक्त स्व० श्री सुरेन्द्र पुत्र स्व० श्री गुलाब सिंह के दो पुत्र कमशः नामे संदीप कुमार, व जधवार पैदा हुये उक्त जयवीर पुत्र स्व० श्री सुरेन्द्रसिंह नाऔलाद फौत हो चुका है तथा वादी की माता भी फौत हो चुकी है।

यह कि वाद–पत्र में वर्णित विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 158 रकबा 4. 39 है०, गुलाबसिंह, उम्मेदसिंह पुत्रान स्व० श्री टेकचन्द, हिस्सा 2ध3, ईश्वर, ओमप्रकाश, पुत्र श्योनारायण, हिस्सा 1/3, कौम जाट, निवासी झोझूकंला के नाम दर्ज भू–अभिलेख रही है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 1/3 वादी के दादा स्व० श्री गुलाबसिंह पुत्र स्व० श्री टेकचन्द की स्वंयअर्जित कयशुदा है तथा वादी के दादा ने अपने जीवन काल में उक्त कृषि भूमि बाबत एक लिखावट बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000, वादी के हक में की थी जिस कारण उक्त लिखावट बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000, की रूह से उक्त वर्णित कषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 बनता है।

यह कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2064 लगायत 2067 के खाता नं. 28 में वर्णित विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 158 रकबा 4.39 है०, की तत्समय खातेदारी गुलाबसिंह, उम्मेदसिंह पुत्रान स्व० श्री टेकचन्द, हिस्सा 2/3. ईश्वर, ओमप्रकाश, पुत्र श्योनारायण, हिस्सा 1/3, कौम जाट, निवासी झोझूकला के नाम दर्ज भू–अभिलेख रही है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वाद पत्र में वर्णित विवादित कृषि भूमि के तत्कालिन खातेदार उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह पुत्र स्व० श्री टेकचन्द ने अपने जीवन काल में ही अपनी तमाम जायदाद के मुतालिक कार्यालय सब रजिस्टार चरखी दादरी के यहां एक लिखावट बशक्ल वसीयत दिनांकः 12–09–2000, तकमील व तसदीक करवाई तथा उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के फौत होने पर उक्त वसीयत दिनांक 12–09–2000, की रूह से वादी ने अपने पैतृक गांव झोझुकला में स्थित कृषि भूमि में उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसका ईल्म परिवार के सदस्यो को बखूबी रहा है तथा उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह पुत्र स्व० श्री टेकचन्द ने अपने जीवन काल में ही वर्णित विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 158 रकबा 4.39 है०, मौजा पिलोद के मुतालिक एक लिखावट बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000, वादी व वादी के भाई जयवीर के हक में की थी, जो कि उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह की अन्तिम इच्छा थी जिस के अनुसार उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के देहावसान के पश्चात् मौजा पिलोद में स्थित उक्त विवादित कृषि भूमि में उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के हिस्सा 1/3 का वादी एक मात्र काबिज काश्त, मालिक हैं।

यह कि वाद–पत्र में वर्णित विवादित कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2064 लगायत 2067 के खाता नं. 28 के तत्समय सह–खातेदार उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह हिस्सा 1/3 के फौत होने के बाद मनभरी पत्नि स्व० श्री गुलाबसिंह, सुरेन्द्रसिंह, भतेरी, सुनिता, लक्ष्मी, द्वारा विरासतन नामान्तकरण सख्या 650/05–09–2011 एक षड्यन्त्र के तहत स्वार्थपूर्ति हेतु तैयार करवाया व किया गया है जो कि वादी के हक व हकूकों पर प्रारम्भ से ही शून्य एवम् निष्प्रभावी है तथा काबिले दुरुस्ती है, उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 158 रकबा 4.39 है०, मौजा पिलोद वादी के दादा स्व० श्री गुलाबसिंह की स्वय अर्जित है तथा उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह ने अपने जीवन काल में ही अपनी अन्तिम इच्छा उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि के मुतालिक एक लिखावट बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000, वादी के हक में की थी उक्त अन्तिम इच्छा के मुतालिक वादी उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह का एक मात्र कानूनन वारिस हैं तथा उक्त विवादित आराजियात के हिस्सा 1/3 पर ताहाल काबिज काश्तकार हैं, यहां यह खुलासा करना उचीत होगा कि उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के अन्य वारिसान् प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 तथा प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 की माता भतेरी पुत्री स्व० श्री गुलाबसिंह ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष स्व० श्री गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी
सरजगढ

की वसीयत को छिपाकर अधूरे तथ्य प्रस्तुत कर वादी को उनके हक से महरूम करने की नीयत से उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में मात्र अपना नाम दर्ज करवा लिया है, उक्त गलत तरीक से तैयार करवाया गया रिकॉर्ड जो कि खिलाफ कानून है तथा उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 व प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 की माता भतेरी के हक में दर्ज किए गए नामान्तरकरण संख्या 650 प्रारम्भ से ही वादी के हकूकों व अधिकारों पर शून्य एवम् निष्प्रभावी है।

यह कि वादी नोकरी पेंशा व्यक्ति हैं जिसके चलते वादी ने कभी आवश्यकता न होने के कारण उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की वादी के पिता स्व० श्री सुरेन्द्रसिंह के फौत होने के बाद उनवानी दावा सुखवीर बनाम आनन्द आदी की जानकारी हुई कि तो वादी ने उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो वादी को जानकारी हुई की वादी का नाम कहीं भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है, जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 5 से इस बाबत बातचीत की तथा उक्त विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह की उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि के मुतालिक एक लिखावट बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000 के आधार पर दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत नं. 5 ने उक्त राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु साफ तौर पर इन्कार कर दिया तथा उक्त वसीयत को मानने से इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानियाँ धमकी दी कि वे गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में उक्त विवादित आराजियात में से वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे तथा वादी को जबरन उनके हिस्से पर से बेदखल कर उक्त हिस्सा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करेंगे जिस कारण प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है कि वो उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के वर्णित हिस्सा 1/3 को खुर्द–बुर्द ना करे तथा वादी के हिस्से 1/3 की भूमि पर जबरन व नाजायज तौर पर अतिक्रमण कर वादी को बेदखल न करें. वादी के हिस्से की कृषि भूमि के कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखल पैदा न करे तथा मामून व बाज रहे।

यह कि वाद–पत्र में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व सह–खातेदार स्व० श्री गुलाबसिंह के द्वारा वादी के हक में अपनी अन्तिम इच्छा बशक्ल वसीयत निष्पादित करवाए जाने व उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के फौत होने पश्चात् वादी उक्त कृषि भूमि के हिस्सा 1/3 का टिनेन्ट, खातेदार व काबिज मालिक होने के कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना तथा वादी को उक्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है, तथा यही कानून का तकाजा है जिस कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने हेतु व उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का इन्द्राज करवाने हेतु वादी को यह वाद–पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

यह कि बिनाय दावा निस्बत दावा हाजा वादी को प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि पर से जबरन बेदखल करने व विवादित कृषि भूमि में से वादी के हक व हिस्से को खुर्द–बुर्द करने की ऐलानिया धमकी देने के रोज दिनांक 06–03–2024 से हासिल है जो कि निरन्तर जारी है।

यह कि पक्षकारान व उक्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम पिलोद, तहसील सूरजगढ़, के होने के कारण न्यायालय श्रीमान् जी को यह वाद पत्र सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रतिवादीगण नं 3 लगायत 5 उक्त खातेदार स्व० भतेरी पुत्री स्व० श्री गुलाबसिंह के वारिस है तथा प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 11 उक्त विवादित आराजियात में संयुक्त खातेदारी में है व प्रतिवादी न. 12 के रहन होने के कारण उक्त को दावा में पक्षकार बनाया गया है। ताकि दावा में पक्षकारो के असयोजन व कुसंयोजन का नुकसान ना रहे।

यह कि दावा हाजा रिकॉर्ड दुरुस्ती से सम्बन्धित है इसलिए राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने के कारण राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ को दावा में पक्षकार प्रतिवादी नं. 13 रूप में फरीक दावा बनाया गया है तथा जिस हेतु अं०धा० 80 सी०पी०सी० नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है किन्तु दावा हाजा अरजेन्ट नेचर का है तथा उक्त प्रक्रिया में अधिक समय लगने का

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–38/2024
संदीप बनाम सुनीता वगै0
निर्णय दिनांकः– 08.07.2025

पूर्ण अन्देशा है जिस से वादियागण द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा हाजा की मन्शा ही खत्म हो जाती है जिस हेतु प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष अलग से गुजारा गया है जो लफ दावा है।

दादरसी–

(क). यह कि कृषि भूमि हाल खसरा नं. 687/157 रकबा 0.0527 है0. खसरा नं. 688/158 रकबा 4.3373 है०, कुल किता 2, कुल रकबा 4.39 है०, मौजा पिलोद, तहसील सूरजगढ़, के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार सुरेन्द्र सिंह, मनभरी पत्नि गुलाबसिंह, भतेरी पुत्री गुलाब सिंह फौत हो चुके है जिस कारण उक्त का नाम हजफ किया जावे तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से दर्ज प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 का नाम हजफ कर वादी को उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह की अन्तिम इच्छा बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000 के आधार पर उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर अमल हेतु पर्चा डिक्री तहसील सूरजगढ़ को जारी हो।

वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 18.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 18.04.2024 नियत की गयी। दिनांक 16.05.2025 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की रजिस्ट्री रसीद पेष की गयी । पत्रावली वास्ते तलबी आदेष हेतु दिनांक 20.05.2025 को नियत की गयी। दिनांक 20.05.2025 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली वास्तें साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 02.06.2025 को नियत की गयी। दिनांक 17.06.2025 को वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी पेष किये गये । दिनांक 08.07.2025 को वकील वादी की बहस सुनी गयी। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अंतिम डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि हाल खसरा नं. 687/157 रकबा 0.0527 है0. खसरा नं. 688/158 रकबा 4.3373 है०, कुल किता 2, कुल रकबा 4.39 है०, मौजा पिलोद, तहसील सूरजगढ़, के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार सुरेन्द्र सिंह, मनभरी पत्नि गुलाबसिंह, भतेरी पुत्री गुलाब सिंह फौत हो चुके है जिस कारण उक्त का नाम हजफ किया जाने की घोषणा की जाती है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 का नाम हजफ कर वादी को उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह की अन्तिम इच्छा बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000 के आधार पर उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–38 / 2024
संदीप बनाम सुनीता वगै0
निर्णय दिनांकः– 08.07.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– **श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)**

मु0नं0 38 / 2024

संदीप बनाम सुनीता वगै0

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 08.07.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

अतः वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि हाल खसरा नं. 687 / 157 रकबा 0.0527 है0. खसरा नं. 688 / 158 रकबा 4.3373 है०, कुल किता 2, कुल रकबा 4.39 है०, मौजा पिलोद, तहसील सूरजगढ़, के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार सुरेन्द्र सिंह, मनभरी पत्नि गुलाबसिंह, भतेरी पुत्री गुलाब सिंह फौत हो चुके है जिस कारण उक्त का नाम हजफ किया जाने की घोषणा की जाती है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 का नाम हजफ कर वादी को उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह की अन्तिम इच्छा बशक्ल वसीयत दिनांक 21–12–2000 के आधार पर उक्त स्व० श्री गुलाबसिंह के हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ